

मुकदमों का विवरण

संजय कुमार अग्रवाल बनाम.

राज्य कर अधिकारी (1) और ए. एन. आर.

(2023 की समीक्षा याचिका (सिविल) No.1620)

(सिविल अपील संख्या 2020 की 1661) 31 अक्टूबर, 2023

[ए. एस. बोपन्ना और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: 2020 की सिविल अपील संख्या 1661 और 2020 की सिविल अपील संख्या 2568 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और दिनांक 1 के आदेश से व्यथित समीक्षा याचिकाकर्ताओं के नेतृत्व में समीक्षा याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था। क्या समीक्षा याचिकाकर्ता विवादित निर्णय की समीक्षा के लिए सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. के दायरे में कोई मामला बनाने में सक्षम थे।

उच्चतम न्यायालय नियम, **2013**-या। **XLVII**-सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908**-या।

XLVII-समीक्षा याचिकाकर्ताओं ने **2019** की सी. ए. संख्या **7976** (पश्चिम आंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम) में उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा रखा। रमन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और अन्य) और प्रस्तुत किया कि न्यायालय विवादित निर्णय में धारा **53** में निहित झरना तंत्र पर विचार करने में विफल रहा है, और आई. बी. सी.-स्वामित्व के अन्य प्रावधानों पर भी विचार करने में विफल रहा है:

आयोजित किया गया: पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं की उक्त प्रस्तुति को इस सरल कारण से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था कि समान संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए विवादित फैसले का कोई भी पारित संदर्भ समीक्षा के लिए आधार नहीं हो सकता है-यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि एक समन्वित पीठ समान संख्या की किसी अन्य समन्वित पीठ द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार या दिए गए निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकती है-यदि कोई पीठ 226 की दूसरी पीठ के कानून के प्रश्न पर निर्णय को सही के रूप में स्वीकार नहीं करती है।

225

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

समान रूप से, अपनाए जाने वाला एकमात्र उचित तरीका यह होगा कि मामले को आधिकारिक निर्णय के लिए बड़ी पीठ को भेजा जाए, अन्यथा कानून को भ्रमित करने वाले निर्णयों के कारण अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया जाएगा-समीक्षा याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ कि न्यायालय विवादित निर्णय में धाराओं में निहित जलप्रपात तंत्र पर विचार करने में विफल रहा था। 53 और आई. बी. सी. के अन्य प्रावधानों पर विचार करने में विफल, तथ्यात्मक रूप से गलत हैं-जैसा कि विवादित फैसले के नंगे पढ़ने से स्पष्ट है, न्यायालय ने न केवल जलप्रपात तंत्र यू/एस पर विचार किया था। 53 आई. बी. सी. के अलावा बिक्री से प्राप्त आय को परिसमापन परिसंपत्तियों के रूप में वितरित करने के उद्देश्य से प्राथमिकता तय करने के लिए आई. बी. सी. के अन्य प्रावधान-इसलिए, जिस सुविचारित निर्णय की समीक्षा करने की मांग की गई है, वह समीक्षा के दायरे में नहीं आता है। [पैरा 20,24,27]

समीक्षा-समीक्षा के आधार:

आयोजित किया गया: (i) किसी निर्णय की समीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ की जा सकती है यदि अभिलेख के सामने कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है; (ii) न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय शून्य है, और उस सिद्धांत से हटना तभी उचित है जब एक ठोस और सम्मोहक चरित्र की परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक हो जाता है; (iii) एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है; (iv) आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, एक गलत निर्णय को "फिर से सुनना और सही करना" स्वीकार्य नहीं है; (v) [पैरा 16]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

बेघर फाउंडेशन बनाम। न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य

[2021] 1 एससीआर 681:(2021) 3 एस. सी. सी. 1-फॉलो किया गया।

227

संजय कुमार अग्रवाल बनाम राज्य कर अधिकारी (1) और ए. एन. आर.

पार्सिओन देवी और अन्य बनाम सुमितरी देवी और अन्य [1997] 4 सप्लीमेंट।एससीआर 470:(1997) 8 एससीसी 715; शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम

राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य [2019] 16 एस. सी. आर. 252:(2020) 2 एससीसी

677; श्री राम साहू (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से और अन्य बनाम विनोद कुमार रावत और अन्य (2021) 13 एससीसी 1; अरुण देव उपाध्याय बनाम। इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड और एक अन्य आर. पी. (ग) सं। 1273-1274 का

2021 सिविल अपील सं. 2018 का 8345-8346; जय श्री साहू बनाम राजदेवन दुबे और अन्य [1962] एससीआर 558:ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 83; ममलेश्वर प्रसाद

और एक अन्य बनाम कन्हैया लाल (मृत) एल. आर. [1975] 3 एससीआर 834:(1975) 2 एस. सी. सी. 232; संत लाल गुप्ता और अन्य बनाम मॉडर्न कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और अन्य [2010] 13 एस. सी. आर. 621:(2010)

13 एस. सी. सी. 336-पर निर्भर।

भारत संघ बनाम नरेश कुमार बट्टीकुमार जगद और अन्य (2019) 18 एस. सी. सी. 586; एम/एस. उत्तरी भारत कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम उपराज्यपाल

दिल्ली [1980] 2 एस. सी. आर. 650:(1980) 2 एससीसी 167; सज्जन सिंह और ओआरएस बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। [1965] एससीआर 933:ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 845; पश्चिम आंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम रमन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड

और अन्य सी. ए. नहीं। 2019 का 7976; अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम निदेशक और अन्य के माध्यम से एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (2021) 9 एससीसी 657; सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडुकोम्प सॉल्यूशंस के लेनदारों की समिति

लिमिटेड और अन्य (2022) 2 एस. सी. सी. 401-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

अंतर्निहित न्यायनिर्णय: 2020 की सिविल अपील No.1661 में 2023 की याचिका (सिविल) No.1620 की समीक्षा करें।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2020 के सी. ए. No.1661 में दिनांकित 06.09.2022 निर्णय और आदेश से।

के साथ

2020 के सी. ए. No.1661 में 2023 के रेव. पेट (सी) No.1621, सी. ए. में 2023 के रेव. पेट (सी) संख्या 1622 और सी. ए. में 2023 के रेव. पेट (सी) <आई. डी. 1 2020 के No.2568 और सी. ए. में 2023 के रेव. पेट (सी) <आई. डी. 4 2020 के No.1661।

228 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

रूप:

नवीन पाहवा, ध्रुव मेहता, हरीश एन साल्वे, रामजी श्रीनिवासन, मनिंदर सिंह, सुमेश धवन, जयदीप गुप्ता, सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मेसर्स लॉफी सी, मेसर्स विष्णु शंकर, अतुल शर्मा, श्रीराम परकट, विक्रम चौधरी, अदिति शर्मा, आदित्य संतोष, अंकुर कश्यप, आयुष अग्रवाल, सुश्री मेघरंजनी चंदू, ऋषभ अग्रवाल, अजीत एस रंगनाथन, रोहित राजरशी, अमन बजाज, सुश्री प्रीति चौधरी, श्याम आर अग्रवाल, अर्णव नारायण, राजेश श्रीवास्तव, गौरव वर्मा, नीरज दत्त गौर, संजय सिंह, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, सूर्य प्रकाश, देवेश दुबे, अर्जुन भाटिया, सुश्री मयूरी रघुवंशी,

व्योम रघुवंशी, सुश्री आकांक्षा राठौर, ध्रुव शर्मा, सुश्री नम्रता सरावगी, कार्तिक पांडे, सुश्री ए। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. एफ. आई. वी. समीक्षा याचिकाओं का यह समूह 2020 की सिविल अपील संख्या 1661 और 2020 की सिविल अपील संख्या 2568 में इस न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश की समीक्षा करना चाहता है। उक्त दोनों अपीलों को राज्य कर अधिकारी द्वारा प्राथमिकता दी गई थी।

2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद 'एन. सी. एल. ए. टी.' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी-रेनबो पेपर्स लिमिटेड (निगमित ऋणदाता) के खिलाफ अपीलकर्ता-राज्य कर कार्यालय द्वारा 2020 की सिविल अपील संख्या 1661 दायर की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता के नेतृत्व में 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) संख्या 404 को खारिज कर दिया गया था। उक्त कंपनी की अपील का नेतृत्व न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 27.02.2019 के आदेश के खिलाफ किया गया था, जिसमें आवेदन को 2018 का I. A. संख्या 224/271/272 337 और CP संख्या में P-01/2019 होने से खारिज कर दिया गया था। (आई. बी.) 88/9 एन. सी. एल. टी./ए. एच. एम./2017 अपीलार्थियों के नेतृत्व में, 229

संजय कुमार अग्रवाल बनाम राज्य कर अधिकारी (1) और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 230

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलकर्ता निगमित ऋणदाता की संपत्ति पर प्रथम आरोप का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि गुजरात मूल्य वर्धित कर 2003 की धारा 48 (जिसे इसके बाद 'जीवीएटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 (जिसे इसके बाद आईबीसी के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 53 पर प्रबल नहीं हो सकती है।

3. 2020 की सिविल अपील संख्या 2568 को अपीलार्थी-राज्य कर कार्यालय द्वारा प्रत्यर्थियों-श्री चंद्र प्रकाश जैन और मैसर्स मेकास्टर इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ दायर किया गया था, जो 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) संख्या 1193 में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित आदेश से व्यथित थे। एन. सी. ए. एल. टी. ने उक्त निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी की उक्त अपील को कंपनी अपील (ए. टी.) (2019 की दिवाला संख्या 404) (जो 2020 की सिविल

अपील No.1661 में चुनौती के तहत आदेश था) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19.12.2019 के आधार पर खारिज कर दिया था।

4. यह न्यायालय दिनांक 06.09.2022 के विवादित आदेश के माध्यम से उक्त अपीलों को स्वीकार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित करता है:

“56. जी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 48 आई. बी. सी. की धारा 53 या किसी अन्य प्रावधान के विपरीत या असंगत नहीं है। धारा 53 (1) (बी) (2) के तहत, एक सुरक्षित लेनदार के लिए बकाया ऋण, जिसमें जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत राज्य शामिल होगा, परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 24 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया के कारण ऋण सहित अन्य विशिष्ट ऋणों के साथ समान रूप से रैंक करना है।

57. जैसा कि ऊपर देखा गया है, राज्य जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार है। आई. बी. सी. की धारा 3 (30) का अर्थ है एक ऐसा लेनदार जिसके पक्ष में प्रतिभूति ब्याज जमा किया जाता है। इस तरह के सुरक्षा हित कानून के संचालन से बनाए जा सकते हैं। आई. बी. सी. में सुरक्षित लेनदार की अवज्ञा किसी भी सरकारी या सरकारी प्राधिकरण को बाहर नहीं करती है।

58. हम यह ठहराने के लिए विवश हैं कि अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपीलार्थी के आवेदन/अपील को अस्वीकार करने में कानूनी रूप से गलती की है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, दावे में देरी दावे को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

59. अपीलों की अनुमति है। विवादित आदेशों को अलग कर दिया जाता है। सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को भी अलग रखा गया है। समाधान पेशेवर के आलोक में एक नई समाधान योजना पर विचार कर सकता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

ऊपर की गई टिप्पणियाँ। हालाँकि, यह निर्णय और आदेश समाधान आवेदक को अपीलार्थी जैसे वैधानिक लेनदारों के बकाया के लिए प्रावधान करते हुए, ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में एक योजना प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगा।

60. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

5. निम्नलिखित पुनरीक्षण याचिकाओं का नेतृत्व पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं ने किया है जो इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त सामान्य निर्णय और दिनांक 1 के आदेश से व्यथित हैं।

(i) 2020 की सिविल अपील संख्या 1661 में 2023 की समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 1620 का नेतृत्व याचिकाकर्ता-संजय कुमार अग्रवाल ने किया है, जो गुजरात मूल्य वर्धित कर 2003 अधिनियम (जिसे इसके बाद 'जीवीएटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) और केंद्रीय

बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसके बाद 'बिक्री कर अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत एक पंजीकृत विक्रेता है। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता 2020 की सिविल अपील संख्या 1661 की कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, हालाँकि, उसने इस आधार पर "पीड़ित व्यक्ति" होने का दावा करते हुए पुनरीक्षण याचिका का नेतृत्व किया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित आदेश 2019 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 23256 में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिकाकर्ता और गुजरात बिक्री कर प्राधिकरण के बीच लंबित कार्यवाही पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगा।

(ii) 2020 की सिविल अपील संख्या 1661 में 2023 की समीक्षा याचिका संख्या 1621 का नेतृत्व समीक्षा याचिकाकर्ता-रामचंद्र दल्लाराम चौधरी ने किया है, जो कॉर्पोरेट देनदार, "रेनबो पेपर्स लिमिटेड" के समाधान पेशेवर (जिसे इसके बाद आरपी के रूप में संदर्भित किया गया है) थे-और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद "एनसीएलटी" के रूप में संदर्भित किया गया है) के समक्ष कार्यवाही में प्रतिवादी थे। सी. पी. सं. 88/9 एन. सी. एल. टी./ए. एच. एम./2017 में 2019 का पी-1 और प्रतिवादी सं. 2 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) संख्या 404 में एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें इस न्यायालय के समक्ष 2020 की सिविल अपील संख्या 1661 में पक्षकार नहीं बनाया गया था और इसलिए उक्त आदेश से व्यथित थे।

231

संजय कुमार अग्रवाल बनाम राज्य कर अधिकारी (1) और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 232 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

(iii) 2020 की सिविल अपील संख्या 1661 में 2023 की समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 1622 का नेतृत्व समीक्षा याचिकाकर्ता भारतीय स्टेट बैंक ने परिसमापन के तहत एक कंपनी, बायोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऋणदाताओं के संघ की ओर से किया है। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता 2020 की सिविल अपील संख्या 1661 की कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, हालाँकि, एक "पीड़ित व्यक्ति" होने का दावा करता है क्योंकि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के अनुसार, गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2019 की एस. सी. ए. संख्या 23256 लिखित याचिका में पुनरीक्षण याचिकाकर्ता और बिक्री कर अधिकारियों, वडोदरा के बीच लंबित कार्यवाही पर विवादित निर्णय का प्रभाव था।

(iv) 2020 की सिविल अपील संख्या 2568 में 2023 की समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 236 का नेतृत्व समीक्षा याचिकाकर्ताओं-चंद्र प्रकाश जैन और ए. एन. आर., मेसर्स मेकास्टर इंजीनियरिंग लिमिटेड के समाधान पेशेवर और मेसर्स मेकास्टर इंजीनियरिंग लिमिटेड (कॉर्पोरेट डेटर) ने किया है, जो अपीलकर्ता-राज्य कर अधिकारी के नेतृत्व में 2020 की सिविल अपील संख्या 2568 में प्रतिवादी थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे इस न्यायालय द्वारा पारित सामान्य विवादित आदेश से व्यथित हैं क्योंकि यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और आई. बी. सी. के प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना पारित किया गया था।

(v) 2020 की सिविल अपील संख्या 1661 में 2023 की समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 1623 का नेतृत्व समीक्षा याचिकाकर्ता-इंडियन ओवरसीज बैंक ने किया है, जो मैसर्स रेनबो पेपर्स

लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) की शुरुआत के बाद गठित लेनदारों की समिति के सदस्यों में से एक था। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता 2020 की सिविल अपील संख्या 1661 में कार्यवाही का पक्षकार नहीं था, हालांकि, दिनांकित 06.09.2022 के विवादित फैसले से व्यथित होने के कारण पुनरीक्षण की मांग कर रहा है।

6. इस न्यायालय ने 13 नवंबर, 2022 के आदेश के माध्यम से समीक्षा याचिकाओं को दायर करने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को अनुमति दी थी और हस्तक्षेप/कार्यान्वयन की मांग करने वाले आवेदनों को भी अनुमति दी थी।

समीक्षा का क्षेत्र:

7. शुरुआत में, यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। बेशक, वह शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन है। उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 तैयार किए हैं। इसके भाग IV का आदेश XLVII समीक्षा के प्रावधानों से संबंधित है। तदनुसार, एक सिविल कार्यवाही में, समीक्षा के लिए एक आवेदन केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLVII नियम 1 में उल्लिखित आधारों पर और एक आपराधिक कार्यवाही में रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि के आधार पर स्वीकार किया जाता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि न तो आदेश XLVII सी. पी. सी. और न ही सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का आदेश XLVII समीक्षा के उपचार को केवल समीक्षा के तहत निर्णय के पक्षों तक सीमित करता है। यहां तक कि कार्यवाही का कोई तीसरा पक्ष भी, यदि वह खुद को "पीड़ित व्यक्ति" मानता है, तो पुनर्विचार याचिका के समाधान का सहारा ले सकता है। सार यह है कि व्यक्ति को कुछ मामलों में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होना चाहिए।¹ उक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिन समीक्षा याचिकाकर्ताओं ने दिनांकित 06.09.2022 के विवादित फैसले से "पीड़ित व्यक्ति" होने का दावा किया था, उन्हें समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति दी गई थी और अदालत द्वारा उनकी सुनवाई की गई थी।

8. पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा उठाए गए तर्कों पर ध्यान देने से पहले, आइए हम सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. के साथ पठित सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. में विचार किए गए समीक्षा के दायरे पर अच्छी तरह से स्थापित कानून को फिर से तैयार करें।

9. जे. कृष्ण अय्यर के शब्दों में, (जैसा कि उनके स्वामी तब थे) "समीक्षा की याचिका, जब तक कि पहले न्यायिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से विकृत नहीं किया जाता है, चंद्रमा की मांग करने के समान है। एक फोरेंसिक हार का बदला दूसरी बार देखने के निमंत्रण से नहीं लिया जा सकता है, जो परिणाम की खोज और परिणाम के उलट होने की उम्मीद करता है। वकील की सलाह में एक समीक्षा एक बार दिए गए फैसले को ठीक नहीं कर सकती है। इसलिए, निर्धारित कानून को शांति से रहना चाहिए।"²

1 (2019) 18 एस. सी. सी. 586, भारत संघ बनाम। नरेश कुमार बट्टीकुमार जगद और अन्य 2 (1980) 2 एस. सी. सी. 167, मेसर्स नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम। दिल्ली के उपराज्यपाल 233

संजय कुमार अग्रवाल बनाम राज्य कर अधिकारी (1) और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 234 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

10. यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक पक्ष केवल मामले की पुनः सुनवाई और नए निर्णय के उद्देश्य से इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की समीक्षा की मांग करने का हकदार नहीं है। सामान्य सिद्धांत यह है कि न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय शून्य है, और उस सिद्धांत से प्रस्थान केवल तभी उचित है जब एक पर्याप्त और सम्मोहक चरित्र की परिस्थितियाँ ऐसा करना आवश्यक बनाती हैं।³

11. पारसियन देवी और अन्य बनाम सुमितरी देवी और अन्य 4 में, यह

न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:- “9. आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत एक निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ समीक्षा के लिए खुला हो सकता है यदि रिकॉर्ड के सामने कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है। एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी गलत निर्णय की “पुनः सुनवाई और सुधार” की अनुमति नहीं है। एक समीक्षा याचिका, यह याद रखना चाहिए कि इसका एक सीमित उद्देश्य होता है और इसे “छद्म रूप में एक अपील” होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”

12. फिर से, शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य में

विद्युत बोर्ड और अन्य 5, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ निम्नलिखित है:

पारसियन देवी और अन्य बनाम सुमितरी देवी और अन्य (ऊपर) ने खारिज कर दिया

समीक्षा याचिकाओं में कहा गया है कि समीक्षा का दायरा सीमित है और समीक्षा की आड़ में, याचिकाकर्ता को उन प्रश्नों को फिर से हल करने और फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन्हें पहले ही संबोधित और तय किया जा चुका है।

13. हाल ही में, कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य बनाम विनोद कुमार रावत और अन्य 6 के माध्यम से श्री राम साहू (मृत) मामले में, इस अदालत ने

सी. पी. सी. के आदेश XLVII के साथ पठित धारा 114 के तहत समीक्षा के दायरे के संबंध में कानून।

3 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 845, सज्जन सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

4 (1997) 8 एससीसी 715 5 (2020) 2 एससीसी 677 6 (2021) 13 एससीसी 1

14. आर. पी. (ग) 2018 की सिविल अपील संख्या 8345-8346 में 2021 की संख्या 1273-1274 (अरुण देव उपाध्याय बनाम। इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड

& एक अन्य), इस न्यायालय ने कानून को दोहराया और कहा कि:- “15. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि समीक्षा करने की शक्ति का उपयोग अपीलीय शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता है और इसे आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के दायरे और दायरे में सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड के सामने एक त्रुटि ऐसी त्रुटि होनी चाहिए जो केवल रिकॉर्ड को देखने से प्रभावित हो और इसके लिए उन बिंदुओं पर तर्क की किसी भी लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जहां दो राय हो सकती हैं।”

15. यह ध्यान देने योग्य है कि हाल ही में संविधान पीठ ने

बेघर फाउंडेशन बनाम। न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य 7,

यह अभिनिर्धारित किया गया कि कानून में परिवर्तन या समन्वित पीठ या बड़ी पीठ के बाद के निर्णय/निर्णय को भी समीक्षा का आधार नहीं माना जा सकता है।

16. पूर्व में बताए गए निर्णयों का सार यह है:-

(i) यदि अभिलेख पर कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट दिखाई देती है तो निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ समीक्षा के लिए खुला है।

((ii) न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय अमान्य है, और उस सिद्धांत से हटना केवल तभी उचित है जब एक ठोस और सम्मोहक चरित्र की परिस्थितियाँ ऐसा करना आवश्यक बनाती हैं।

(iii) एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है।

(iv) आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, किसी गलत निर्णय की "पुनः सुनवाई और सुधार" की अनुमति नहीं है।”

(v) पुनरीक्षण याचिका का एक सीमित उद्देश्य होता है और इसे "छद्म रूप में अपील" होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”

7 (2021) 3 एससीसी 1 235

संजय कुमार अग्रवाल बनाम राज्य कर अधिकारी (1) और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]
236

(vi) समीक्षा की आड़ में, याचिकाकर्ता को उन प्रश्नों को फिर से हल करने और फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन्हें पहले ही संबोधित और तय किया जा चुका है।

((vii) अभिलेख के सामने एक त्रुटि ऐसी त्रुटि होनी चाहिए जो केवल अभिलेख को देखने से प्रभावित हो और इसके लिए उन बिंदुओं पर तर्क की किसी लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जहां दो राय हो सकती हैं।

((viii) यहां तक कि कानून में परिवर्तन या एक समन्वित या बड़ी पीठ के बाद के निर्णय/निर्णय को भी समीक्षा का आधार नहीं माना जा सकता है।

विश्लेषण:

17. पूर्व-वर्णित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आइए हम इस बात की जांच करें कि क्या समीक्षा याचिकाकर्ता विवादित निर्णय की समीक्षा के लिए सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. के दायरे में कोई मामला बनाने में सक्षम हैं।

18. हमने श्री हरीश एन साल्वे, श्री नवीन पाहवा, श्री ध्रुव मेहता, श्री रामजी श्रीनिवासन, श्री सिद्धार्थ भटनागर और श्री सुमेश धवन, संबंधित विद्वान वरिष्ठ वकीलों और समीक्षा याचिकाकर्ताओं/हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए अन्य विद्वान वकीलों के साथ-साथ विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील सुश्री आस्था मेहता को भी सुना है। 19. समीक्षा याचिकाकर्ताओं/हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान वकील, 2019 की सी. ए. संख्या 7976 (पश्चिम) में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों पर भारी भरोसा रखते हैं।

आंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम रमन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड

और अन्य) ने 17 जुलाई, 2023 को प्रस्तुत किया कि न्यायालय विवादित निर्णय में धारा 53 में निहित झरना तंत्र पर विचार करने में विफल रहा है, और आई. बी. सी. के अन्य प्रावधानों पर भी विचार करने में विफल रहा है। उन्होंने निम्नलिखित अनुच्छेद में समन्वय पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है:-

“49. इंद्रधनुष पत्र (उपरोक्त) ने धारा 53 के तहत 'झरना तंत्र' पर ध्यान नहीं दिया-इस प्रावधान को निर्णय में जोड़ा या निकाला नहीं गया था। इसके अलावा, इंद्रधनुष पत्र (उपरोक्त) समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में थे न कि परिसमापन के दौरान। अनुभाग

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

53, जैसा कि पहले आयोजित किया गया था, विभिन्न वर्गों के लेनदारों के दावों के पदानुक्रम या प्राथमिकता प्रदान करने वाले जलप्रपात तंत्र को लागू करता है। धारा 53 की सावधानीपूर्वक अभिकल्पना परिसमापन कार्यवाही के दौरान परिसमापक की देय लागतों और खर्चों के बाद, दूसरे स्थान पर सुरक्षित लेनदारों और श्रमिकों को देय राशियों का पता लगाती है। हालांकि, सरकार को

देय देय राशि सुरक्षित लेनदारों और यहां तक कि असुरक्षित और परिचालन लेनदारों से बहुत कम है। इस डिजाइन को या तो इंद्रधनुष पत्रों (ऊपर) में अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया था या पूरी तरह से छूट गया था। किसी भी स्थिति में, निर्णय में आई. बी. सी. के उन प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो केंद्र या राज्य सरकार को देय बकाया की तुलना में सुरक्षित लेनदारों को देय बकाया को उच्च स्तर पर मानते हैं।”

20. समन्वय पीठ द्वारा की गई उक्त टिप्पणियों का सहारा लेते हुए, समीक्षा याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने विवादित फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकीलों की उक्त प्रस्तुति को इस सरल कारण से पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए कि समान संख्या की पीठ द्वारा दिए गए विवादित निर्णय का कोई भी पारित संदर्भ पुनर्विलोकन के लिए आधार नहीं हो सकता है। यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि एक समन्वय पीठ उसी शक्ति की किसी अन्य समन्वय पीठ द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार या दिए गए निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकती है। यदि कोई पीठ समान संख्या वाली किसी अन्य पीठ के कानून के प्रश्न पर निर्णय को सही के रूप में स्वीकार नहीं करती है, तो अपनाए जाने वाला एकमात्र उचित तरीका यह होगा कि मामले को आधिकारिक निर्णय के लिए बड़ी पीठ को भेजा जाए, अन्यथा कानून को भ्रमित करने वाले निर्णयों के कारण अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया जाएगा।

21. जय श्री साहू बनाम राजदेवन दुबे और अन्य 8 में, चार लोगों की एक पीठ

न्यायाधीशों ने इस संबंध में बहुत प्रासंगिक टिप्पणियां की हैं:- “11. कानून अपनी सभी उपयोगिताओं से वंचित हो जाएगा यदि इसे भ्रमित करने वाले निर्णयों के कारण अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया जाता है, और इसलिए यह वांछनीय है कि अलग-अलग राय के मामले में, प्रश्न का आधिकारिक रूप से निपटारा किया जाना चाहिए।”

8 ए. आई. आर 1962 एस. सी. 83 237

संजय कुमार अग्रवाल बनाम राज्य कर अधिकारी (1) और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 238

22. मामलेश्वर प्रसाद और एक अन्य बनाम कन्हैया लाल (मृत)

L.Rs. 8 के माध्यम से, यह देखा गया कि- “7. कानून की निश्चितता, फैसलों की स्थिरता और अदालतों की सामूहिकता-सभी एक ही सिद्धांत से संबंधित हैं-इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक बार दिए गए निर्णय को बाद में मामलों की तरह बाध्य होना चाहिए। हम इस नियम से हटने का इरादा नहीं रखते हैं कि, असाधारण उदाहरणों में, जहां स्पष्ट असावधानी या निरीक्षण से कोई निर्णय एक सादे वैधानिक प्रावधान या तर्क और परिणाम के विपरीत चलने वाले अनिवार्य प्राधिकरण को नोटिस करने में विफल रहता है, तो इसका बाध्यकारी पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं हो सकता है। यह एक स्पष्ट मामला होना चाहिए, एक अस्पष्ट चूक।”

23. संत लाल मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई सटीक टिप्पणियाँ

गुप्ता और अन्य बनाम मॉडर्न कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड

और अन्य 10, ध्यान देने योग्य हैं-"17। एक समन्वय पीठ उसी न्यायालय की दूसरी समन्वय पीठ द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार या दिए गए निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकती है। पूर्ववर्ती नियम इस कारण से बाध्यकारी है कि कानून में एकरूपता और निश्चितता प्राप्त करने की इच्छा है। इस प्रकार, न्यायिक प्रशासन में कानून के नियमों का प्रतिपादन करने वाले उदाहरण हमारी प्रणाली के तहत न्याय के प्रशासन की नींव बनाते हैं। इसलिए, हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि एक समन्वय पीठ के निर्णय का पालन किया जाना चाहिए। (त्रिभुवनदास पुरुषोत्तमदास ठक्कर बनाम रतीलाल मोतीलाल पटेल, न्यायिक जवाबदेही की उप-समिति बनाम भारत संघ और त्रिपुरा राज्य बनाम त्रिपुरा बार एसोसिएशन।)"

24. इस सुव्यवस्थित कानूनी स्थिति के अलावा कि एक समन्वित पीठ समान संख्या वाली किसी अन्य समन्वित पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकती है और यह कि बाद के निर्णय या एक समन्वित पीठ या बड़ी पीठ के फैसले को स्वयं समीक्षा के लिए आधार नहीं माना जा सकता है, समीक्षा याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलें कि न्यायालय विवादित निर्णय में धारा 53 में निहित झरना तंत्र पर विचार करने में विफल रहा था और आई. बी. सी. के अन्य प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहा था, तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। जैसा कि खाली पढ़ने से स्पष्ट होता है

9 (1975) 2 एससीसी 232 10 (2010) 13 एससीसी 336

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

विवादित फैसले में, अदालत ने न केवल आई. बी. सी. की धारा 53 के तहत झरना तंत्र पर विचार किया था, बल्कि परिसमापन परिसंपत्तियों के रूप में बिक्री से प्राप्त आय को वितरित करने के उद्देश्य से प्राथमिकता तय करने के लिए आई. बी. सी. के अन्य प्रावधानों पर भी विचार किया था।

25. सटीक रूप से, न्यायालय ने विवादित निर्णय में अनुच्छेद 20 में धारा 53, अनुच्छेद 21 में 2016 के विनियमों के साथ आई. बी. सी. के अन्य प्रावधानों और निर्णय के अनुच्छेद 22 और 23 में लेनदारों द्वारा किए जाने वाले दावों को प्रस्तुत करने के संबंध में 2018 के विनियमों में बाद के संशोधनों को स्पष्ट रूप से पुनः प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में इसके पहले के फैसलों पर भी विचार किया है।

घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पैराग्राफ **42** में निदेशक और अन्य **11** के माध्यम से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से। एबिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडुकोम्प सॉल्यूशंस

लिमिटेड के लेनदारों की समिति और पैराग्राफ **47** में अन्य **12** के मामले में निर्णय और उसके बाद

निम्नलिखित रूप में देखा गया:- “48. एक समाधान योजना जो आई. बी. सी. की धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, अमान्य होगी और केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार, किसी भी वैधानिक या अन्य प्राधिकरण, किसी भी वित्तीय लेनदार, या अन्य लेनदार पर बाध्यकारी नहीं होगी, जिसे किसी भी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के संबंध में ऋण देय है। इस तरह की समाधान योजना राज्य को तब बाध्य नहीं करेगी जब किसी निगमित देनदार का वैधानिक बकाया बकाया हो।

49. आई. बी. सी. की धारा 31 (1) जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को समाधान योजना को मंजूरी देने का अधिकार देती है, इस अभिव्यक्ति का उपयोग करती है “यह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगी जो बाध्यकारी होगी”. इस शर्त के अधीन कि समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यदि कोई समाधान योजना आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो निर्णय प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से समाधान योजना को मंजूरी देने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, धारा 31 की उप-धारा (2), जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक

11 (2021) 9 एससीसी 657 12 (2022) 2 एससीसी 401 239

संजय कुमार अग्रवाल बनाम राज्य कर अधिकारी (1) और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]
240

समाधान योजना जो धारा 31 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, “हो सकता है” अभिव्यक्ति का उपयोग करती है।

50. आम तौर पर, “होगा” शब्द का उपयोग एक जनादेश/बाध्यकारी दिशा को दर्शाता है, जबकि “हो सकता है” अभिव्यक्ति का उपयोग विवेक को दर्शाता है। यदि कानून कहता है कि एक व्यक्ति एक काम कर सकता है, तो वह भी वह काम नहीं कर सकता है। भले ही धारा 31 (2) का अर्थ किसी समाधान योजना को अस्वीकार करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करना है, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से, सनक से या तथ्यों और परिस्थितियों के लिए दिमाग के उचित अनुप्रयोग के बिना नहीं किया जा सकता है, जिनके लिए किसी न किसी तरह से विवेकाधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।”

26. धारा 53 और आई. बी. सी. के अन्य प्रावधानों में विचार किए गए जलप्रपात तंत्र पर विचार करने के बाद यह निर्णय लेने के उद्देश्य से कि क्या धारा 53 आई. बी. सी. जी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 48 को ओवरराइड करेगी, यह निम्नानुसार आक्षेपित आदेश में निष्कर्ष निकाला गया:-

“55. हमारे सुविचारित विचार में, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने अवलोकन में स्पष्ट रूप से गलती की कि आई. बी. सी. की धारा 53 जी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 48 को ओवरराइड करती है। आई. बी. सी. की धारा 53 एक गैर-अस्थायी खंड के साथ शुरू होती है जिसमें लिखा है:- “संसद या तत्काल प्रवृत्त किसी राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में वितरित किया जाएगा।.....

56. जी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 48 आई. बी. सी. की धारा 53 या किसी अन्य प्रावधान के विपरीत या असंगत नहीं है। धारा 53 (1) (बी) (2) के तहत, एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण, जिसमें जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत राज्य शामिल होगा, परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 24 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया के कारण ऋण सहित अन्य विशिष्ट ऋणों के साथ समान रूप से रैंक करना है।

57. जैसा कि ऊपर देखा गया है, राज्य जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार है। आई. बी. सी. की धारा 3 (30) का अर्थ है एक ऐसा लेनदार जिसके पक्ष में प्रतिभूति ब्याज जमा किया जाता है। इस तरह के सुरक्षा हित कानून के संचालन द्वारा बनाए जा सकते हैं। आई. बी. सी. में सुरक्षित लेनदार की अवज्ञा किसी भी सरकारी या सरकारी प्राधिकरण को बाहर नहीं करती है।”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

27. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि जिस सुविचारित निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए, वह समीक्षा के दायरे और दायरे में नहीं आता है। पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील विवादित निर्णय में किसी भी गलती या त्रुटि को स्पष्ट करने में विफल रहे हैं, और मामले को इस न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय की समीक्षा के लिए विभिन्न निर्णयों में निर्धारित मापदंडों के भीतर लाने में विफल रहे हैं। चूंकि हम इन समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, इसलिए हम पक्षकारों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा योग्यता के आधार पर की गई अन्य दलीलों पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

28. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

पुनरीक्षण याचिकाएँ खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान